P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-III, February-2015
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

सुक्ष्म वित्त प्राप्त महिला स्वयं सहायता समूहों के आंतरिक ऋण एवं आर्थिक कार्यकलापों से प्राप्त रोजगार का अध्ययन

ए.एन. माखिजा
सहायक प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

निर्मला उमरे,
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

सारांश

भारत में ग्रामीण महिलाएं परम्परागत रूप से आर्थिक उत्पादक रहीं हैं, किंतु सक्रिय भागीदारी के बावजूद उनकी पहचान लैंगिक विचारधारा के कारण हमेशा से स्थापित नहीं हो पाई है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं में सशक्तिरण को एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में अपनाया गया है। उल्लेखनीय रूप से अब महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों में महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं परिचालन विकास के घटक के आधार हैं। ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं मानसिक बदलाव ला रही है। समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त हो रहीं हैं। वर्तमान में महिलाओं ने मेहनत एवं लगन के बल पर यह साबित कर दिया है कि स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर एक नया मुकाम हासिल किया जा सकता है।

मुख्य शब्दः सशक्तिकरण, सुक्ष्म वित, आंतरिक ऋण, सम्मिलित बचत, उद्यमशीलता

प्रस्तावना

भारत के गांवों में महिलाओं के बारे ऐसा माना जाता है कि मजदूरी अथवा उद्यम उनके जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे अपने पतियों, पुत्रों या पिताओं की मदद पर निर्भर मानी जाती है। यह अवधारणा शिक्षा व कौशल रचना तक महिलाओं की पहुंच की बाधाओं को बढ़ाती है एवं आय उपार्जन अवसरों के उनके विकल्पों को सीमित करती है।

अरस्तू कहते हैं, ''किसी भी राष्ट्र का निर्माण ग्रामीण महिलाओं के बिना अकल्पनीय है, जबकि सामाजिक सशक्तिकरण महिलाओं के विकास के बिना संभव नहीं है।'' ग्रामीण महिलाऐं हैं, जिन्हे उनके परम्परागत कार्यों तक सीमित करके रखा गया है, जबकि उनकी क्षमता उससे बेहतर करने की है। इसके साथ ही उनके अधिकांश महत्वपूर्ण में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार महिलाओं के आर्थिक कार्यकलापों को घरेलू उद्यमों, हस्तशिल्प, कटाई, बुनाई जैसे क्रियाकलापों पर आधारित उद्यम के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। महिलाओं का उद्यम उनकी सामाजिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के तहत निर्धारित किया जाता है। घर के अंदर महिलाओं का कार्य विशेष रूप से पुरूष व महिला के बीच श्रम–विभाजन पर आधारित होता है। इस तरह घरेलू कार्यों हेतु उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता और न ही उसे उत्पादक उद्यम के रूप में शामिल किया जाता है। कई जगहों उनके बाह्य क्रियाकलापों को पर अब भी अंकुश लगाया जाता है। इस श्रम–विभाजन में महिलाऐं शोषित होती हैं। इस प्रकार की असमानता प्रत्येक रूप में महिलाओं के प्रति एक उपेक्षित सोच को जन्म देती है।

अधिकांश ग्रामीण महिलाएँ ही हैं, जो कठोर घरेलू परिस्थितियों एवं सामाजिक भेदभाव का सामना करती है। ऐसी महिलाओं का सशक्तिकरण देश की प्रगति व सुधार का महत्वपूर्ण मुद्दा है। फलतः इस वर्ग में ग्रामीण महिलाओं की आवश्यकता की पूर्ति एवं समस्याओं के निदान हेतु विशेष रूप से व्यापक आर्थिक नीतियां एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक विकास के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास को भी गति मिल सके। उन्हें संगठित करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं एवं उनकी क्षमताओं का सतत् विकास किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन व संचालन किया जा रहा है। इनमें से एक महत्वाकांक्षी योजना स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं परिचालन है। स्वयं सहायता समूह आज क्षेत्रीय विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं।

महिला स्वयं सहायता समूह वास्तव में महिलाओं का एक औपचारिक समूह है, जो अपनी बचत व बैंकों से सूक्ष्म वित्त प्राप्त कर सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और आर्थिक गतिविधियां चलाकर गांव में गरीबी दूर करने और उनके सशक्तिकरण में योगदान देते हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाऐं विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों के द्वारा न केवल क्षेत्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, अपितु उनमें सामाजिक एवं मानसिक बदलाव भी ला रही है। वर्तमान में महिलाओं ने मेहनत व लगन के बल पर यह साबित कर दिया है कि स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़कर क्षेत्रीय आर्थिक विकास को एक नया आयाम दिया जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है–

1. राजनांदगांव जिला के महिला स्वयं सहायता समूहों को छत्तीसगढ़ महिला कोष एवं बैंकों द्वारा प्रदत्त लघु ऋणों का विश्लेषण करना।
2. जिला में सूक्ष्म वित्त सम्पोषित महिला स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक कार्यकलापों से सदस्यों को प्राप्त रोजगार की स्थिति का अध्ययन करना।
3. जिला के महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों में आंतरिक ऋण की जानकारी प्राप्त करना।

अध्ययन की परिकल्पाएं

अध्ययन की परिकल्पनाएं निम्नानुसार हैं–

1. जिला में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदत्त ऋण से संपादित आर्थिक कार्यकलापों से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
2. जिला में बचत एवं ऋण राशि का अधिकांश भाग महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा आंतरिक लेनदेन हेतु प्रयुक्त होगा।

शोध प्रविधि

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के महिला स्वयं सहायता समूहों को छत्तीसगढ़ महिला कोष एवं विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदत्त सुक्ष्म वित्त से राजनांदगांव जिला के महिला स्वयं सहायता समूहों की आंतरिक ऋण एवं उनके द्वारा किए जाने वाले आर्थिक कार्यकलापों के अध्ययन के लिये द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है। राजनांदगांव जिला में महिला जनसंख्या, कुल कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत आदि से संबंधित समंक, जिला सांख्यिकी पुस्तिका, राजनांदगांव से प्राप्त किये गये हैं। जिले में विकासखण्डवार महिला स्वयंसहायता समूहों द्वारा खोले गये खाते व जमा राशि, प्राप्त ऋण राशि, ऋण राशि का उपयोग, आर्थिक गतिविधियों में संलग्न स्वयंसहायता समूहों से सबंधित आंकड़े कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजनांदगांव से प्राप्त किये गये हैं।

आंकड़ों के विश्लेषण के लिए विकासखण्डवार प्रति समूह प्रदत्त औसत ऋण राशि एवं दर और औसत बचत राशि एवं दर, प्राप्त ऋण राशि का उत्पादक एवं उपभोक्ता उपयोग का प्रतिशत, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जुड़े स्वयं सहायता समूहों का प्रतिशत ज्ञात किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में 19.57′′ से 21.42′′ उत्तरी अक्षांश एवं 80.23′′ से 81.30′′ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 8022.55 वर्ग कि.मी. है। राजनांदगांव जिला मुम्बई–कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06 पर स्थित है। इसमें 1602 आबाद ग्राम तथा 692 ग्राम पंचायतें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, जिले की जनसंख्या 1537133 है, जिसमें महिलाऐं 50.37 प्रतिशत हैं तथा स्त्री–पुरूष अनुपात 1015 है। जिला की कुल जनसंख्या का 82.27 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में व शेष नगरों में में निवास करता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, राजनांदगांव जिला में कुल गठित महिला महिला स्वयंसहायता समूहों की संख्या 7653 हैं, जो छत्तीसगढ़ महिला कोष तथा बैंकों से ऋण प्राप्त कर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर महिला सशक्तिकरण में योगदान दे रहे हैं। इसी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए श्रीमती फूलबासन यादव को भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान बहुआयामी है। यही कारण है कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मानव संसाधन के रूप में महिलाएं राजनांदगांव जिला के आबादी के 50 फीसदी से अधिक हैं, इसलिए विकास के कार्य में महिलाओं की महती भूमिका तथा योगदान को सही परिपेक्ष्य में रखकर ही क्षेत्र विशेष की समृद्धि को समझा जा सकता है। जिले के अर्थव्यवस्था में महिला श्रम का अत्याधिक महत्व है। जिले में कुल कार्यशील महिला जनसंख्या में से 50.53 प्रतिशत महिला कृषक, 35.34 प्रतिशत खेतिहर मजदूर, 1. 42 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग में तथा 12.69 प्रतिशत अन्य क्रियाकलापों में संलग्न हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनमें से एक योजना 'महिला स्वयंसहायता समूह'' का गठन एवं संचालन है। महिला स्वयं सहायता समूह गरीब महिलाओं का संगठन है, जिसमें सदस्य एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सहयोग से मिलकर कार्य करते है। किंतु ऐसे व्यक्तियों की पहुंच औपचारिक वित्तीय संस्थाओं तक नहीं होती। यही कारण है कि सूक्ष्म वित्त की पहुंच और भारत में गरीबों में इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सरकार इन महिला समूहों को को सशक्त व स्वावलंबी बनाने हेतु वित्त उपलब्ध करा रही है।

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-III, February-2015
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

80 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में संख्यावार बैंकिंग शाखाओं का विस्तार होने बावजूद महिलाओं को सरकार बैंकों से ऋण लेने और अपना रोजगार स्थापित करने में कठिनाई होती रही, किंतु श्री एस.के. कालिया की अध्यक्षता में 1994 में गठित भारतीय रिजर्व बैंक कार्यदल द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषण के लिए वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने 1997 में जारी प्रपत्र के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय बैंकों को स्वयं सहायता समूहों को वित्त उपलब्धता के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। शासन ने 'समूह' के माध्यम से विकास योजनाओं एवं सुक्ष्म वित्त को इस वर्ग तक सफलतापूर्वक पहुंचाया है इसके क्रियान्वयन में विभिन्न बैकिंग संस्थाओं के साथ गैरसरकारी संगठनों की भूमिका भी उल्लेखनीय है।

छत्तीसगढ़ शासन ने महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पात्र महिला स्वयं सहायता समूहों को, जिनके गठन को एक वर्ष पूर्ण हो चुका है, साधारण ब्याज दर पर अधिकतम 50 हजार रूपये तक के ऋण का प्रावधान है। राजनांदगांव जिला में पात्र 518 महिला स्वयंसहायता समूहों को छत्तीसगढ़ महिला कोष से 4216500 रू. की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग, राजनांदगांव द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार राजनांदगांव जिले के 10 परियोजना क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ महिला कोष से संबंधित समूहों को प्रदत्त ऋण राशि निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक–1
छत्तीसगढ़ महिला कोष से पात्र महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदत्त ऋण राशि

परियोजना क्षेत्र	संबंधित महिला समूहों की संख्या	प्रदत्त राशि (रू. में)	प्रतिशत	प्रति समूह प्रदत्त औसत ऋण राशि
मानपुर	45	331000	7.85	7355.55
मोहला	80	555500	13.17	6943.75
चौंकी	66	558000	13.23	8454.54
राजनांदगांव (ग्रामीण)	53	318000	7.54	6000.00
डोंगरगांव	99	753000	17.86	7606.06
डोंगरगढ़	15	88000	2.09	5866.66
खैरागढ़	56	470000	11.14	8392.85
छुरिया	20	193000	4.57	9650.00
छुईखदान	49	510000	12.09	10408.16
राजनांदगांव (शहरी)	35	440000	10.44	12571.42
योग	518	4216500	100	8139.96

स्त्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग, राजनांदगांव,

तालिका क्रमांक–1 के विश्लेषण से यह पता चलता है कि राजनांदगांव जिले के परियोजना क्षेत्र में राजनांदगांव को ग्रामीण व शहरी में विभक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ महिला कोष से राजनांदगांव (संयुक्त) परियोजना क्षेत्र के 88 महिला स्वयं सहायता समूहों को सर्वाधिक 758000 रूपये की राशि ऋण के रूप में प्रदान की गई है। डोंगरगांव परियोजना क्षेत्र में महिला कोष से 99 पात्र महिला स्वयं सहायता समूहों को 753000 रूपये की राशि ऋण के रूप में वितरित की गई है। जनजातीय क्षेत्र चौकी, मोहला एवं मानपुर में से सर्वाधिक 558000 रूपये की राशि ऋण के रूप में चौकी क्षेत्र को स्वीकृत की गई है। डोंगरगढ़ परियोजना क्षेत्र में सर्वाधिक न्यून 88000 रूपये की राशि केवल 15 महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण के रूप में दी गई है।

प्रति समूह प्रदत्त औसत ऋण राशि की दृष्टि से छुईखदान परियोजना क्षेत्र में प्रति समूह यह राशि सर्वाधिक 10408.16 रूपये है। तत्पश्चात अगले क्रम पर छुरिया परियोजना क्षेत्र है, जहां ग्रामीण व शहरी क्षेत्र को मिलाकर प्रति समूह औसत ऋण राशि 8613.63 रू. है, किंतु राजनांदगांव परियोजना क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के अनुसार यह राशि 12571.42 रूपये है जो कि सर्वाधिक है। प्रति समूह प्रदत्त औसत न्यून ऋण राशि 5866.66 रूपये डोंगरगढ़ परियोजना क्षेत्र की है। छत्तीसगढ़ महिला कोष से प्रदत्त ऋण राशि का यदि प्रतिशत के रूप में विश्लेषण किया जाए तो सर्वाधिक 17.86 प्रतिशत राशि डोंगरगांव परियोजना क्षेत्र के महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त हुई है। दूसरे एवं तीसरे क्रम पर क्रमशः जनजातीय परियोजना क्षेत्र चौंकी एवं मोहला हैं, जिनमें पात्र महिला समूहों को क्रमशः 13.23 प्रतिशत एवं 13.17 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त हुई है। कुल आबंटित ऋण राशि का सर्वाधिक न्यून हिस्सा 4.57 प्रतिशत छुरिया क्षेत्र के महिला समूहों को आबंटित किया गया है।

महिला समूह के गठन पश्चात जब समूह की बचत प्रारंभ हो जाती है तो वह अपने निकट के वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी बैंक की शाखा में बचत खाता खुलवा सकते हैं। समूह गठन के 6 माह पश्चात बैंक से सम्बद्धता की सुविधा रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक शाखाऐं अपने क्षेत्र एवं क्षेत्र से बाहर के समूहों को वित प्रदान कर सकती है। सम्बद्धता के माध्यम से ही बैंक समूह को ऋण प्रदान करता है जो समूह की बचत तथा परिपक्वता के आधार पर प्रदान किया जाता है। ऋण हेतु स्वयंसहायता समूह को बैंक द्वारा निर्धारित निम्न मापदंडों का पालन करना होता है–

1. समूह न्यूनतम 6 माह की अवधि से सक्रिय हो तथा नियमित बचत व बैंठकें कर रहा हो।
2. समूह अपनी एकत्रित बचत से आपस में सदस्यों को ऋण वितरण व शत प्रति"ात वापसी में सक्षम हो।
3. समूह की बैठकें नियमित रूप से आयोजित हो रही हों।
4. समूह द्वारा लेनदेनों का समुचित लेखा रखा हो तथा ये अभिलेख सुरक्षित हों।

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-III, February-2015
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

5. समूह का स्वरूप लोकतांत्रिक हो, जिसमें सभी सदस्यों की निरंतर भागीदारी हो।
6. समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि व विचारों में एकरूपता हो।
7. समूह में परस्पर सहायता व मिलकर कार्य करने की वास्तविक आवश्यकता तथा भावना प्रदर्शित होनी चाहिए।

तालिका क्रमांक–2
छत्तीसगढ़ महिला कोष से पात्र महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदत्त ऋण राशि

परियोजना क्षेत्र	सम्बद्ध समूह	प्रदत्त राशि (रू.में)	प्रति समूह प्रदत्त औसत ऋण राशि	प्रति समूह ऋण राशि दर
मानपुर	335	1613800	4817.31	9.34
मोहला	198	1457996	7363.61	8.44
चौंकी	244	1589819	6515.65	9.20
राजनांदगांव (ग्रामीण)	775	511800	660.38	2.96
डोंगरगांव	1104	640000	579.71	3.71
डोंगरगढ़	375	3636250	9774.86	21.05
खैरागढ़	430	970600	2257.20	5.62
छुरिया	492	3880120	7886.42	22.47
छुईखदान	510	1799000	3527.5	10.41
राजनांदगांव (शहरी)	43	1169600	27200.00	6.77
योग	4503	17268985	3834.99	100

स्त्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग, राजनांदगांव

तालिका क्रं–2 के विश्लेषण से दृष्टिगोचर होता है कि विभिन्न बैंकों द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदत्त ऋणों की सर्वाधिक राशि छुरिया परियोजना क्षेत्र के महिला स्वयं सहायता समूहों को आबंटित की गई, जहां के 492 समूहों को 3880120 रूपये ऋण के रूप में दिए गए। द्वितीय क्रम पर डोंगरगढ़ परियोजना क्षेत्र हैं, जहां 372 महिला समूह बैंकों से संबद्ध हैं, जिन्हें 3636250 रूपये की ऋण राशि आबंटित की गई। तीसरे स्थान पर, छुईखदान परियोजना क्षेत्र के बैंकों से संबद्ध 510 महिला समूहों को 1799000 रूपये की राशि ऋण के रूप में प्राप्त हुई। बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में से सर्वाधिक कम राशि 640000 रूपये डोंगरगांव परियोजना क्षेत्र में 1104 महिला समूहों को प्रदत्त की गई।

प्रति समूह प्रदत्त औसत ऋण की दृष्टि से सर्वाधिक ऋण राशि 9774.86 रूपये डोंगरगढ़ परियोजना क्षेत्र के महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त हुई। द्वितीय क्रम पर, परियोजना क्षेत्र छुरिया है, जहां प्रति समूह 7886.42 रूपये की राशि बैंकों द्वारा दी गई। तृतीय स्थान पर जनजातीय परियोजना क्षेत्र मोहला है, जहां प्रति समूह औसत ऋण राशि 7363.61 रूपये है। औसत की दृष्टि से सबसे पीछे परियोजना क्षेत्र डोंगरगांव है, जहां प्रति समूह प्रदत्त औसत राशि मात्र 579.71 रू. है।

बैंकों द्वारा प्रदत्त कुल ऋण राशि का यदि प्रतिशत के अनुसार वितरण देखा जाए तो सर्वाधिक हिस्सा 22.47 प्रतिशत छुरिया परियोजना क्षेत्र को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात डोंगरगढ़ परियोजना क्षेत्र का स्थान है जहां के महिला समूहों को कुल ऋण का 21.05 प्रतिशत भाग प्रदत्त किया है अगले क्रम में छुईखदान है जहां के समूहों को 10.41 प्रतिशत ऋण राशि प्राप्त हुई। ऋण का सर्वाधिक न्यून प्रतिशत राजनांदगांव परियोजना क्षेत्र (संयुक्त) के समूहों को प्राप्त हुआ है जहां समूहों को 4.86 प्रतिशत राशि प्राप्त है।

स्वयं सहायता समूह बैंक द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग शुरूआत में समूह के सदस्यों को अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। धीरे–धीरे समूह के परिपक्व होने पर समूह के सदस्य किसी व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण उठाते हैं।

सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत समूह में बचत की अवधारणा एक अहम स्तंभ है। स्वयं सहायता समूहों में बचत एक व्यक्ति को दूसरे से जोड़ती है। यहीं जुड़ाव सामूहिक कार्यकलापों को जन्म देती है तथा समूहों को स्थिरता प्रदान करता है। स्वयं सहायता समूह में छोटी–छोटी बचत से समूह की अपनी ऋण व्यवस्था विकसित होती है, जिससे सदस्य की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। धीरे–धीरे यह साझा कोष बढ़ाता रहता है, इससे सदस्यों के बीच आर्थिक सुरक्षा का अहसास भी बढ़ता है, यह अहसास समूह को स्थायी बनाने में सहायक होता है। सभी स्वयं सहायता समूहों को बैंक में बचत खाता खोलना अनिवार्य है। जितनी जल्द से जल्द यह खाता खोला जाएगा उतनी ही जल्दी समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग, राजनांदगांव द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2012 तक महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा खोले गए खातों तथा बचत राशि का विकासखण्डवार विवरण निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक–3
महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बैंक में खोले गए खाते एवं बचत राशि

विकास खण्ड	समूह द्वारा कुल खोले गए खाते	कुल बचत राशि (रू. में)	प्रति समूह बचत राशि	राशि दर
मानपुर	633	3015336	4763.56	55
मोहला	489	8781599	17958.28	24.88
चौंकी	900	6779968	7533.29	19.21
राजनांदगांव (ग्रामीण)	1078	10376792	9625.96	29.41
डोंगरगांव	1180	229753	194.70	0.65
डोंगरगढ़	894	573000	6409.40	1.62
खैरागढ़	780	644250	825.96	1.62
छुरिया	817	1950000	2386.78	5.53
छुईखदान	755	2856400	3783.31	8.09

राजनांदगांव (शहरी)	127	84193	662.93	0.24
योग	7653	84193	662.93	100.00

स्त्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग, राजनांदगांव,

उपर्युक्त तालिका क्रमांक–3 के विश्लेषण से यह पता चलता है कि विकासखण्ड राजनांदगांव (ग्रामीण) में गठित महिला समूहों की बचत राशि सर्वाधिक 29.41 प्रतिशत है। तीन जनजातीय विकासखण्डों में सर्वाधिक बचत राशि मोहला विकासखण्ड की 24.08 प्रतिशत है, जो जिले में बचत राशि मात्रा की दृष्टि से दूसरे क्रम पर है। तीसरे क्रम में पुनः जनजातीय विकासखण्ड चौकी है। समूहों द्वारा सर्वाधिक कम बचत राशि 0.24 प्रतिशत विकासखण्ड राजनांदगांव (शहर) में है।

प्रति समूह औसत बचत राशि पुनः सर्वाधिक जनजातीय विकासखण्ड मोहला में है, जो कि कुल औसत बचत राशि से 13346.85 रूपये अधिक है कुल औसत बचत राशि 4611.43 से प्रति समूह औसत बचत राशि अधिक होने वाले विकासखण्डों में राजनांदगांव (ग्रामीण), चौंकी, डोंगरगढ़ एवं मानपुर हैं। प्रति समूह सर्वाधिक कम बचत राशि विकासखण्ड राजनांदगांव (शहर) में है, जो कि कुल औसत बचत राशि से 3948.5 रूपये कम है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन शहर की तुलना में अधिक है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की प्रवृत्ति बढ़ी है तथा ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

तालिका क्रमांक–4

महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त ऋण राशि का उपयोग

क्रं.	विकासखण्ड	उपभोक्ता	प्रतिशत	उत्पादक	प्रतिशत	कुल (रू.)
1.	मानपुर	915780	10.21	8056855	89.79	8972635
2.	मोहला	8764200	53.27	7688740	46.73	16452940
3.	चौंकी	8314878	86.9	1253765	13.10	9568643
4.	राजनांदगांव	3094611	71.07	1259626	28.93	4354237
5.	डोंगरगांव (ग्रामीण)	1144988	18.96	4894644	81.04	6039632
6.	डोंगरगढ़	15918422	86.44	2496250	13.56	18414672
7.	खैरागढ़	1526500	15.17	8533000	84.83	10059500
8.	छुरिया	46160	21.75	166080	78.25	212240
9.	छुईखदान	148700	28.19	378830	71.81	212240
10.	राजनांदगांव (शहरी)	अनुपलब्ध	–	अनुपलब्ध	–	अनुपलब्ध
योग	योग	39874239	53.45	34727790	46.55	74602029

स्त्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग, राजनांदगांव,

महिला स्वयं सहायता समूह ऋण राशि का उपयोग उपभोक्ता कार्यों अर्थात निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं उत्पादक कार्यों अर्थात आर्थिक गतिविधियों के सम्पादन हेतु किया जाता है। उपर्युक्त तालिका क्रमांक–4 के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि जिले के जनजातीय चौकी विकासखण्ड में सर्वाधिक 86.90 प्रतिशत की राशि महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा आपसी लेनदेन हेतु प्रयुक्त हुई है, जबकि मानपुर विकासखण्ड में यह राशि सर्वाधिक न्यून 10.21 प्रतिशत है। इसके विपरीत मानपुर विकासखण्ड में ही ऋण राशि का सर्वाधिक 89.79 प्रतिशत उत्पादक कार्यों में तथा सर्वाधिक न्यून 13.10 चौकी विकासखण्ड में उत्पादन कार्यों में प्रयुक्त होती है। ऋण राशि का उपयोग, संसाधनों की उपलब्धता जोखिम उठाने की क्षमता, बाजार आदि पर निर्भर करता है।

राजनांदगांव जिला में महिला स्वयं सहायता समूहों ने हजारों गरीब तबके की महिलाओं को घर की चौखट के बंधन से मुक्त करके बाहर निकाला है तथा उन्हें महत्वपूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम भी बनाया है। इस कार्य में छत्तीसगढ़ महिला कोष से एवं बैंकों द्वारा जिले में 5021 महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है। आपसी सहयोग व संसाधनों के माध्यम से ये महिला स्वयंसहायता समूह निम्नलिखित आर्थिक कार्यों में संलग्न हैं–

तालिका क्रमांक–5

महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त ऋण राशि का उपयोग

क्रं.	विकासखण्ड	कृषि, उद्यानिकी, वनोपज संग्रहण	मछली तथा पशुपालन	व्यापारिक उद्योग	कुटीर कार्य	सेवा	कुल
1.	मानपुर	29 (8.76)	13 (3.93)	02 (0.60)	00 (00)	287 (86.70)	331
2.	मोहला	44 (4.86)	21 (6.14)	01 (0.29)	02 (0.58)	274 (80.12)	342
3.	चौंकी	41 (11.75)	15 (4.29)	04 (1.14)	64 (18.33)	225 (64.47)	349
4.	राजनांदगांव	39 (8.31)	18 (3.84)	09 (1.92)	03 (0.63)	400 (85.28)	469
5.	डोंगरगांव (ग्रामीण)	72 (18.41)	28 (7.16)	64 (16.37)	00 (00)	227 (58.05)	391
6.	डोंगरगढ़	37 (11.59)	10 (3.13)	32 (10.03)	03 (0.94)	237 (74.29)	319

7.	खैरागढ़	02 (2.44)	12 (2.69)	61 (13.67)	01 (0.22)	370 (82.96)	446
8.	छुरिया	46 (6.78)	28 (4.13)	251 (37.02)	07 (1.03)	346 (51.03)	678
9.	छुईखदान	54 (9.14)	47 (7.95)	71 (12.01)	00 (00)	419 (70.89)	591
10.	राजनांदगांव (शहरी)	00	00	00	00	58 (100)	58
	योग	364	192	495	80	2843	3974

स्त्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग, राजनांदगांव, (कोष्ठक में दिखाए गए अंक प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं)

तालिका क्रमांक–5 के विश्लेषण यह पाया गया कि जिले के 9 विकासखण्डों में से सर्वाधिक समूह सेवा कार्य जैसे, मध्यान्ह भोजन व उचित मूल्य दुकान संचालन, पूरक पोषण आहार वितरण एवं रेडी–टू ईट फूड निर्माण कार्यों में संलग्न हैं। इसके अलावा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जुड़े विकासखण्डवार कुल महिला स्वयं सहायता समूहों ने कृषि, उद्यानिकी एवं वनोपज संग्रह में सर्वाधिक समूह मानपुर, मोहला, राजनांदगांव (ग्रामीण), डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ विकासखण्ड में है, तालिका में जो क्रमशः 876, 12.86, 8.31, 18.41 एवं 11.59 प्रतिशत है। व्यापारिक कार्यों में सर्वाधिक समूह खैरागढ़, छुरिया एवं छुईखदान विकासखण्ड से है, जो कुल समूहों के क्रमशः 13.67, 37.02 तथा 12.01 प्रतिशत है। चौकी विकासखण्ड में कुटीर उद्योगों से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों का प्रतिशत सर्वाधिक 18.33 प्रतिशत है। विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि आर्थिक गतिविधियों का केन्द्रीकरण वहां उपलब्ध संसाधनों एवं कौशल पर निर्भर करता है।

राजनांदगांव जिला में आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कुल महिला स्वयं सहायता समूहों में से पुनः सर्वाधिक सेवा कार्य में संलग्न हैं, जो कि 71.54 प्रतिशत है, 12.45 प्रतिशत व्यापारिक कार्य में, 9.16 प्रतिशत कृषि एवं उसके सहायक कार्यों में तथा सबसे कम 2.01 प्रतिशत कुटीर उद्योग में लगे हुए हैं। व्यापारिक कार्यों में महिला स्वयं सहायता समूहों की संलग्नता उनमें बढ़ती उद्यमशीलता का प्रतीक है।

निष्कर्ष

गांवों के आर्थिक, सामाजिक विकास के मूल महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान रहता है। ग्रामीण महिलाएं न केवल शिशु को जन्म देकर उसका उचित लालन–पालन करके सामाजिक दायित्व निभाती है, अपितु घर में एवं विभिन्न आर्थिक कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनांदगांव जिला में कुल गठित 7653 महिला स्वयं सहायता समूहों में से 51.93 प्रतिशत समूह विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं। आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कुल 3974 महिला स्वयं सहायता समूहों ने क्षेत्र विशेष के 38957 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है ,जो कि कुल गठित महिला स्वयंसहायता समूहों के कुल सदस्य संस्था का 43.82 प्रतिशत हैं। सर्वाधिक 23844 सदस्य सेवा कार्य जैसे, मध्यान्ह भोजन व उचित मूल्य दुकान संचालन, पूरक पोषण आहार वितरण एवं रेडी–टू ईट फूड निर्माण में कार्यरत हैं। इनमें से सर्वाधिक सदस्य मध्यान्ह भोजन संचालन का कार्य कर रहे हैं। तत्पश्चात यह देखा गया है कि कुल सक्रिय सदस्यों के 21 प्रतिशत सदस्य होटल, कपड़ा, मनिहारी, किराना, कृषि एवं सब्जी के क्रय–विक्रय में संलग्न हैं। 9.70 प्रतिशत सदस्य कृषि, उद्यानिकी एवं वनोपज संग्रह के कार्य में लगे हुए हैं। 5.79 प्रतिशत सदस्य महिलाएं मछली तथा पशुपालन के कार्य में अपनी सहभागिता दे रही हैं। 2.30 प्रतिशत महिला सदस्यों ने कुटीर उद्योगों के माध्यम से विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर एक दूसरे की मदद करके चुनौतियों का समाधान ढूंढ़ते हुए अपने उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया है।

ऋण राशि का उपयोग सदस्यों द्वारा उपभोक्ता तथा उत्पादक उद्देश्य से किया जाता है। उपभोक्ता उद्देश्य के अंतर्गत ऋण राशि का उपयोग सदस्यों द्वारा आपसी लेन–देन के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि उत्पादक उद्देश्य के अंतर्गत ऋण राशि का उपयोग सदस्यों द्वारा आर्थिक गतिविधि के लिए किया जाता हैं। जिले में प्रदत्त कुल ऋण राशि में से 53.45 प्रतिशत उपभोक्ता एवं 46.55 प्रतिशत उत्पादक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। जिले में विकासखण्डवार सदस्यों के वितरित ऋण का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि 4 विकासखण्डों (मोहला, चौंकी, राजनांदगांव ग्रामीण, डोंगरगढ़) में उत्पादक उद्देश्य की तुलना में उभोक्ता उद्देश्य पर ऋण राशि का अधिक प्रयोग हुआ है। इन चारों विकासखण्डों में कुल ऋण राशि राशि के 86.9 प्रतिशत राशि का उपयोग आपसी लेन देन हेतु चौकी विकासखण्ड में प्रयुक्त हुआ है। डोंगरगढ़ विकासखण्ड में उपभोक्ता उद्देश्य हेतु उपयोग पर प्रयुक्त राशि का प्रतिशत चारों विकासखण्ड में सबसे कम 53.27 प्रतिशत है। इसके विपरीत 5 विकासखण्डों (मानपुर, डोंगरगांव, खैरागढ़, छुरिया, छुईखदान) में ऋण राशि का उत्पादक उद्देश्यों हेतु सर्वाधिक उपयोग 89.79 प्रतिशत मानपुर विकासखण्ड में हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि मानपुर विकासखण्ड के महिला स्वयंसहायता समूह के सदस्य अपने उत्थान के लिए ऋण राशि का उपयोग आपसी लेन देन के बजाय आर्थिक गतिविधियों में लगाना पसंद करते हैं। डोंगरगांव व खैरागढ़ विकासखण्ड के महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपने उत्थान के लिए ऋण राशि का उपयोग आपसी लेन देन के बजाय आर्थिक गतिविधियों में लगाना पसंद करते है। डोंगरगांव व खैरागढ़ विकासखण्ड में उत्पादक उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त राशि 60 प्रतिशत से अधिक है। छुरिया व छुईखदान विकासखण्ड के महिला स्वयं सहायता समहों के सदस्यों द्वारा 70 प्रतिशत से अधिक राशि आर्थिक कार्यकलापों हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार यह पाया गया है कि 4 विकासखण्ड उद्देश्यों हेतु उपयोग करते हैं। उक्त दोनों उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष के महिला स्वयं सहायता समूहों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Kapoor, G.P. (2010) Poverty Alleviation and self-Help Groups, A.P.H. Publishing Corporation, New Delhi
2. Kapoor, G.P. (2011) Micro Finance and Women Empowerment, A.P.H. Publishing Corporation, New Delhi
3. कुमार, सुनील (2004) 'ग्रामीण विकास एवं क्षेत्रीय नियोजन', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
4. मल्होत्रा, राकेश (2007) 'विभिन्न योजनाओं में स्व–सहायता समूह–एक व्यवहारिक मार्ग दर्शिका' अटलांटिक पब्लिशिंग, नई दिल्ली
5. श्रीवास्तव, मयंक (जून, 2009) ''स्व–सहायता समूह से गांवों की बदलती तस्वीर'', कुरूक्षेत्र, अंक 53, पृष्ठ 33–34
6. सिंह, कटार (2001) ग्रामीण विकास–सिद्धांत, नीतियां एवं प्रबंधन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
7. Tapan, Neeta (2010) Micro Credits, Self-Help Groups and Women Empowerment, New Cetury Publication, New Delhi
8. त्रिपाठी, मधुसूदन (2011) स्व–सहायता समूह एवं महिलाएं, खुशी पब्लिकेशन, नई दिल्ली